

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

स्थल शिड्यूली केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 705 दिनांक 10/09/2020

प्रार्थी राजेश सुखानी डा 6 श्री देवीदास

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 प. 110-7-ए ग्राम-भुवला

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश खसरा संख्या 109/112

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 12921/- जमा

जरिये रसीद संख्या 9069/4994, 4995

दिनांक 10/09/2020 को जमा करा दी है ।

Post 11/9/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

Sampark
11/9/20

9413247650

जी+1
आवासीय